

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०स०- 17/विविध 1-187/2024

पटना, दिनांक-- / / 2026

डा० अभिषेक तिवारी, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), सर्जरी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को बिहार सेवा सहिता के नियम-78(क) (2) के आलोक में नये पद (सहायक प्राध्यापक) पर नियुक्ति के उपरान्त पूर्व पद (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी) पर प्राप्त वेतन रु० 74,000/- (चौहत्तर हजार) को वेतन स्तर-11 में संरक्षित करते हुए निम्नवत वेतनमान अनुगम्य किया जाता है :-

(i) रु० 74,000/- (चौहत्तर हजार) का प्रक्रम नये पद (सहायक प्राध्यापक), वेतन स्तर-11 में उपलब्ध है। अतः इनका वेतन प्रक्रम रु० 74,000/- (चौहत्तर हजार) में वेतन निर्धारित होगा।

(ii) डा० तिवारी के अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि-01.01.2023 होगी।

2. उक्त में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 17/विविध 1-187/2024-12(17) पटना, दिनांक :- 02/01/2026

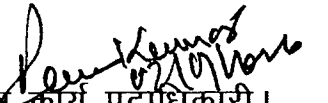
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० अभिषेक तिवारी, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), सर्जरी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।